

1800 किलोग्राम मिलावटी मावा, कलाकन्द जब्त

बानसूर थाना पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिलने पर की कार्रवाई

अलवर, (नि.सं.)। जिले में त्योंहार के मौके पर मिलावटी खाद्य सामग्री पकड़ने में जिला प्रशासन एवं पुलिस ने कमर कस रखा है आज बानसूर थाना पुलिस ने राजकुमार राजा पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में करीब 180 किलोग्राम मिलावटी मावा कलाकन्द को लेकर जा रही पिकअप गाड़ी को जब्त किया।

बानसूर थाना पुलिस को मुखबिर खास सूचना मिली की किशनगढ़ बास की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आ रही है जिसके अन्दर मिलावटी मावा कलाकन्द भरा हुआ है। उक्त सूचना पर टीम गिरुडी बस स्टैंड पर पहुंचे जहां लेकडी गांव की तरफ से आने वाले गुप्त रास्ते से एक पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जिसे टीम द्वारा रोकर चैक किया गया तो पिकअप गाड़ी के अन्दर मावा कलाकन्द भरा हुआ था तथा गाड़ी में मुनवर मेव निवासी इस्माइलपुर बागौर थाना किशनगढ़ बास, आजाद मेव निवासी देवता थाना किशनगढ़ बास, कमरुद्दीन मेव निवासी बेरा का बास डुंगा थाना किशनगढ़ बास जिला

मावा, कलाकंद की जांच के बाद मिलावटी होने की पुष्टि हुई

अलवर, साहिल मेव निवासी खोवाबास थाना किशनगढ़ बास जिला अलवर बैठे हुये थे। गाड़ी में भरे मावा कलाकन्द से बन्दू आ रही थी तथा सूचने व खचने पर उक्त मावा दूषित होना प्रतीत हो रहा था। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाया गया तथा उक्त संदिग्ध मिलावटी मावा कलाकन्द से भरी हुई पिकअप गाड़ी को व उसमें बैठे व्यक्ति मुनवर, आजाद, कमरुद्दीन, साहिल को थाने ले जाया गया। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा करीब 1800 किलोग्राम मावा कलाकन्द जांच करने पर मिलावटी होना पाये जाने पर सैम्पल प्राप्त कर नष्ट किया गया।

पांच हजार किलो बुरा सीज किया

करीली, (नि.सं.)। आमजन को मिलावट रहित खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे 'शुद्ध के लिये युद्ध' विशेष अभियान 17 से 21 अक्टूबर के तहत खाद्य वस्तुओं के सैपल लिये गये और जगदंबा ट्रेडिंग कंपनी हिंडौन सिटी में 5 हजार किलो बुरा सीज किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेशचंद्र मीना ने बताया कि फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थ आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध शुद्ध के लिए युद्ध विशेष अभियान संचालित है जिसके तहत गठित टीम ने एफएसओ जगदीश गुप्ता के नेतृत्व में जोधपुर स्वीट होम बयाना मोड हिण्डौन सिटी से रसगुल्ला, ज्वला मां मिष्ठान भंडार बयाना रोड हिण्डौन सिटी से खीरमोहन मिठाई एवं जोधपुर मिष्ठान भंडार बयाना मोड से मावा व दूध के नमूने लिए तथा 60 किलो खट्टा व बदवदार मावा नष्ट कराया।

स्वास्थ्य विभाग ने 457 किं. मशाले पाउडर जप्त किए

जोधपुर, (कास)। शहर में "शुद्ध के लिए युद्ध अभियान" के तहत मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई मंगलवार को भी जा रही। सीएमएचओ ने बताया कि मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सूचना के आधार पर सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 45,680 किलो एक्सपायर्ड हुए मसाला पाउडर जप्त किया गया। उन्होंने बताया कि देसुरिया बिश्नोइया की फर्म किचन हार्वेस्ट फूड फर्म पर एक्सपायरी मसाले पाउडर होने की सूचना मिली थी, जिसकी पुष्टि होने पर खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा नौ मिल के तेज पारस कोल्ड स्टोर में रखे एक्सपायरी मिर्ची, हल्दी व धनिया पाउडर जप्त किया। डॉ. संखला ने बताया कि फर्म द्वारा उक्त एक्सपायरी मसाले एवं विक्रय करने की मंशा से स्टॉक किया

डीएपी से भरे ट्रक को पकड़ा

जिप्सम के नाम पर ले जाए जा रहे डीएपी के 232 कट्टे जब्त किए

सुरतगढ़, (नि.सं.)। उपखण्ड के राजियासर थाना क्षेत्र के गांव हिंदौर में डीएपी खाद से भरी गाड़ी को लेकर किसानों ने रोष व्यक्त किया। किसानों ने इसकी सूचना कृषि विभाग, सहकारी समिति, इफको व पुलिस को दी। इस पर इफको के क्षेत्रीय अधिकारी रविंद्र सिंह, सहायक अधिकारी शैलेंद्र कुमार, सुमित गोदारा व राजियासर पुलिस मौके पर पहुंचे।

इस पर डीएपी भरे ट्रक को राजियासर पुलिस थाने ले जाया गया। इसी बीच कृषि अधिकारी सरजीत बिशोई, सहायक कृषि अधिकारी मुकुंद भट्टी व कृषि पर्यवेक्षक बिरमा स्वामी भी थाने पहुंच गए। इससे पूर्व इफको अधिकारियों को गांव में मौके पर गाड़ी में भरी डीएपी के बिल व कागजात देखने पर 1.995 लाख रुपए का 38 टन जिप्सम का बिल उपलब्ध करवाया गया। जो कि उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद से भरकर श्रीगंगानगर की किसी फर्टिलाइजर केमिकल्स फर्म के नाम से बनाया गया है।

मामले की सूचना मिलने पर पहुंचे इफको अधिकारी और कृषि विभाग के

डीएपी से भरे ट्रैक्टर के हिंदौर गांव में पहुंचने पर किसानों में खाद लेने की होड़ मच गई

अधिकारी मुकदमे की कार्यवाही को लेकर आपस में एक दूसरे का बतवते रहे वहीं किसान कार्यवाही के इंतजार में देर शाम तक ताकते रहे। इससे पूर्व डीएपी खाद से भरे ट्रैक्टर के हिंदौर गांव में पहुंचने पर किसानों में डीएपी के लिए होड़ मच गई। राजियासर व पीपासर के कुछ किसान डीएपी खाद के कट्टे खरीदकर ले भी गए। इसी बीच किसानों को खाद के नकली होने का अंदेशा हुआ तो इधर-उधर जानकारी के लिए पूछताछ शुरू कर दी। किसी जागरूक किसान ने इसकी सूचना कृषि विभाग, इफको और किसान सहकारी को भी दे दी। इस पर गांव में किसान एकत्रित हो गए और गाड़ी को मौके पर ही रोके रखा।

पुलिस व अधिकारी गाड़ी को राजियासर थाने लेकर आ गए। किसानों ने खाद लेने के दौरान कट्टे को खोलकर खाद की गुणवत्ता को लेकर संदेह बताया तो उन्होंने अपने स्तर पर जांच कर इसके नकली होना बता दिया।

इफको के क्षेत्रीय अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि गाड़ी में जिप्सम के नाम पर डीएपी के 232 कट्टे जब्त किए गए हैं। उच्चाधिकारियों ने कार्यवाही के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। श्रीगंगानगर के कृषि अधिकारी सरजीत बिशोई ने बताया कि हमने गाड़ी में मिले डीएपी के सैपल ले लिए हैं। इफको के ब्रांड में अनाधिकृत रूप से माल बेचने पर इफको को ही मुकदमा दर्ज करवा कर कार्यवाही करनी चाहिए। राजियासर किसान सहकारी समिति के अध्यक्ष कालू राम गोदारा ने बताया कि रबी फसल को बिनाई के मौके पर डीएपी की कालाबाजारी और नकली मिलना या बेचना किसानों के साथ सरासर धोखाधड़ी है। इस प्रकार के कृत्य करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

मांडलगढ़ के 292 आंगनबाड़ी केन्द्र में लोहा बॉक्स खरीद में घोटाला

मांडलगढ़, (नि.सं.)। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग की उड़ान योजना में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लोहे के बॉक्स खरीद में विभाग के अफसरों और कार्मिकों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। मांडलगढ़ ब्लॉक के सभी 292 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लोहे के बॉक्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधे बाजार से खरीदने के आदेश निदेशालय से मिले थे। निदेशालय द्वारा सभी आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक बॉक्स खरीद की राशि 5 हजार 960 रुपए निर्धारित कर आवंटित की गई। लेकिन जिला मुख्यालय के अफसरों व कार्मिकों ने निजी स्तर पर सस्ती दर से लोहे के बॉक्स बाजार से खरीद कर मांडलगढ़ ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 5960 रुपए के बिल के साथ भिजवा दिए और

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बैंक खाते में आई राशि को जबरन वसूल कर लिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो उनका आवाज दबा दी गई। हरिताल जाट जिला परिषद सदस्य ने बताया कि बॉक्स को 6 हजार में खरीद

कर भारी भ्रष्टाचार किया गया है। इस मामले में मांडलगढ़ सीडीपीओ ने बताया कि विभाग की उड़ान योजना के तहत प्रत्येक केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने स्वयं ने निर्धारित मापदण्ड में लोहे के बॉक्स खरीदे हैं।

21 सौ किलो मावा व मिठाइयों के सैपल जांच के लिए भेजे

पाली, (नि.सं.)। राज्य सरकार के निर्देश पर पाली जिले में सरकार की महत्वकांक्षी योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. इन्दरसिंह टांडी की अगुवाई में को गई कार्यवाही के दौरान मिलावट के संदेह के आधार पर 21 सौ किलोग्राम मावा व अन्य मिठाइयां भी जब्त की गईं। साथ ही जब्त किए गए मावे व अन्य मिठाइयों के 6 सैपल लेकर मावे के लिए जोधपुर प्रयोगशाला में भेजे तथा मौके पर ही 250 किलो मावा घटिया स्तर का होने के कारण टीम ने नष्ट करवाया। कार्यवाही से मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया।



पाली के सीएमएचओ के निर्देशन में सैम्पल जांच के लिए भेजे।

मंगलवार को सुबह बीकानेर से निजी यात्री बस में भारी मात्रा में नकली मावा व

अन्य मिठाइयों के पाली आने की सूचना मिलने पर चिकित्सा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते

हुए करीब 107 पीपों व कार्टन में भरा 2100 किलोग्राम संदिग्ध मिलावटी मावा व मावे से

पाली जिले में बिकने आया घटिया स्तर का 250 किलो मावा नष्ट करवाया

बनी मिठाइयां पकड़ी एवं पाली जिले के पाली शहर, सोजत व सुमेरपुर में विभिन्न दुकानदारों को स्पलाई किए जाने वाले मावे के 6 सैपल लिए जिन्हें जांच के लिए जोधपुर प्रयोगशाला भेजा। उन सभी मावा विक्रेताओं जिसमें मैसर्स बीकानेर मावा भंडार सुपर मार्केट पाली, चौधरी मिष्ठान भंडार नया बस स्टैंड पाली, बीकानेर मावा भंडार पाली रोड सोजत सिटी, देवीलाल शर्मा-इन्दरचंद शर्मा पाबूसर जिला चूरू, रामराम देवासी भूषणदास राइको का बास रूपावास, को मौके पर बुलाकर मावा विक्रेताओं को मावे का नमूना एवं रसगुल्ला के नमूने जांच वास्ते लिए गए।

महिला व पुरुषों को वार्ड में एक साथ देख नाराज हुए मंत्री मीणा

मंडावरी, (नि.सं.)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा द्वारा मंडावरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने के दौरान वार्ड में पुरुष एवं महिला का एक जगह भर्ती होने को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उनके द्वारा मौके पर मौजूद सीएमएचओ को भविष्य में महिला व पुरुषों को अलग-अलग वार्ड में भर्ती कर उनका इलाज करने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री मीणा नवजात शिशु के लिए बनाए गए न्यू बेबी बोर्ड स्ट्रेलाइजेशन यूनिट के वार्ड के स्टोर जैसा दिखने पर शिशुओं की देखरेख उपचार के लिए मशीनों को सही जगह रखकर उसके समुचित उपयोग व रखरखाव निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री मीणा द्वारा आन कॉल के नाम पर रात्रि समय में अस्पताल से दूर रहने व सूचना मिलने पर वहां आने को लेकर भी

एनबीएसयू वार्ड स्टोर में दिखा तब्दील

नाराजगी जाहिर की। चिकित्सा मंत्री मीणा ने कहा कि चिकित्सकों का यह रवैया ठीक नहीं है चिकित्सकों की जिस समय ड्यूटी जहां लगाई जाए उसे वही स्थान रहना चाहिए।

वहां मौजूद लोगों द्वारा चिकित्सकों की कमी से अवगत कराये जाने पर मंत्री मीणा द्वारा सीएमएचओ मंडावरी में आने वाले मरीजों को पर्याप्त सुविधा मिले इसके लिए सर्वजन चिकित्सा पीसी गुप्ता को फेमिली प्रोग्राम कार्यक्रम से सटाकर पूरे समय मंडावरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रखने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री मीणा ने कहा कि ऐसा करने से सोनोग्राफी मशीन की सुविधाओं का गर्भवती महिलाओं समेत इस उपचार से जल्दतरमंद मरीजों को निबाध लाभान्वित किया जा सकेगा।

शहर में दुकानों से लिए मावे व लड्डू के सैपल



चिड़वा खाद्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर ने मावे के सैम्पल लिए।

चिड़वा, (नि.सं.)। शहर में आज खाद्य विभाग की टीम ने दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। टीम सबसे पहले मंडेला बाईपास पर मनोज मिष्ठान भंडार पहुंची। यहां पर फूड इंस्पेक्टर महेंद्र चतुर्वेदी ने टीम के सैपल लिए। चिकित्सा मंत्री मीणा ने कहा कि ऐसा करने से सोनोग्राफी मशीन की सुविधाओं का गर्भवती महिलाओं समेत इस उपचार से जल्दतरमंद मरीजों को निबाध लाभान्वित किया जा सकेगा।

संजय और मनोज मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई की

टीम ने देसी घी के लड्डू और मावे के नमूने लिए। फूड इंस्पेक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि किसी भी प्रकार की मिलावटी सामान मिलने पर 181 नंबर पर शिकायत दे सकते हैं। वहीं शिकायत सही पाई गई तो शिकायतकर्ता को इनाम देने का भी प्रावधान है।

फर्म गजानंद सुशील कुमार रतनगढ़ से कलाकंद व मावा का एक नमूना लिया गया है। फर्म तुलसी स्टोर रतनगढ़ से भुजिया का एक नमूना लिया गया है। फर्म बेनीवाल ब्रदर्स रतनगढ़ से मावा हुए पनीर का एक नमूना लिया गया है। सभी व्यापारियों को साफ-सफाई रखने व शुद्ध खाद्य सामग्री बेचने के लिए पाबंद किया गया। सभी नमूनों को प्रयोगशाला जयपुर में जांच के लिए भिजवाया गया है जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

विद्युत विभाग का कनिष्ठ अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार

घरेलू कनेक्शन का डी.पी. लगवाने के नाम पर लिए 14 हजार रुपये



बूंदी एसीबी की गिरफ्त में आरोपी कनिष्ठ अभियंता नचिकेत पारेता।

बूंदी, (नि.सं.)। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी एसीबी द्वारा पुलिस उप अधीक्षक एसीबी ज्ञान चंद मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुये लाखेरी विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता नचिकेत पारेता को परिवारी से 14 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक ज्ञान चंद मीणा ने बताया कि परिवारी द्वारा एसीबी कार्यालय बूंदी में उपस्थित होकर शिकायत दी गई कि घरेलू कनेक्शन हेतु डी.पी. लगवाने की एवज में नचिकेत पारेता कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी, जिला बूंदी द्वारा 15 हजार रुपये की रिश्वत राशि

आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी, कोटा के पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव के सुपरविजन में एसीबी की बूंदी इकाई ने शिकायत का सत्यापन किया। शिकायत सही पाए जाने पर मंगलवार को पुलिस निरीक्षक ताराचंद उपाठी की टीम द्वारा ट्रेप कार्रवाई करते हुये नचिकेत पारेता पुत्र जगदीश निवासी बॉटम लेवल, कल्या लाखेरी, जिला बूंदी हाल कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी, जिला बूंदी को परिवारी से 14 हजार रुपये

हैड कान्स्टेबल 5 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

हनुमानगढ़, (नि.सं.)। एसीबी श्रीगंगानगर की टीम ने हनुमानगढ़ में पीलीबंगा पुलिस थाने के हैड कान्स्टेबल सुरेश कुमार शर्मा को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 10 हजार रुपए में मदद करने के लिए परिवारी से 10 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसमें से 5 हजार रुपए की रिश्वत हैड कान्स्टेबल ने पहले ही ले ली थी। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर श्रीगंगानगर प्रथम इकाई की ओर से की गई। पकड़ा गया हैड कान्स्टेबल पिछले कुछ समय से शिकायतों के चलते एसीबी के निशाने पर था। एसीबी की श्रीगंगानगर प्रथम इकाई को परिवारी की ओर से शिकायत दी गई कि उसकी ओर से धोखाधड़ी से गाड़ी हड़पने के आरोप में दर्ज करवाए गए मुकदमे में मदद करने के एवज में आरोपी सुरेश कुमार शर्मा ने 10 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस पर एसीबी बीकानेर के एसपी देवेन्द्र कुमार बिशोई के सुपरविजन में एसीबी की श्रीगंगानगर प्रथम इकाई के पुलिस उप अधीक्षक धूपेन्द्र सोनी के निर्देश में शिकायत

एसीबी श्रीगंगानगर की टीम ने दबोचा, मुकदमे में मदद करने के लिए मांगी थी रिश्वत

का सत्यापन किया गया। सत्यापन में रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई। आरोपी हैड कान्स्टेबल की ओर से शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवारी से 5 हजार रुपए की रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिए गए। मंगलवार को एसीबी टीम ने पीलीबंगा पुलिस थाना में ट्रेप कार्रवाई करते हुए हैड कान्स्टेबल सुरेश कुमार पुत्र रामचंद्र शर्मा निवासी देवजी का थाना, तहसील हिंडोली, जिला बूंदी को परिवारी से 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जिसके बाद टीम ने एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देश पर आरोपी के निवास और अन्य ठिकानों की तलाशी ली। आरोपी हैड कान्स्टेबल को बुधवार को एसीबी कोर्ट श्रीगंगानगर में पेश किया जाएगा।

एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है।

Livestock Research Station Dag, Jhalawar-326514 (Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences)
No. F.6 (J)/Dag/LRS/RAJUVA/AHPD/2022-23/137 Date: 13/10/2022
Open Tender Notice OGT-02 (2022-23)
Sealed Tenders are invited from eligible original manufacturers / distributors for open general tender for the supply of "FEED INGREDIENTS". Tender application will be open for submission from 14-10-2022 10.29.10.2022 (5.00 PM) and after this bids will be opened by tender opening committee at LRS Dag on 31.10.2022 at 2.00 PM, onwards.
Detailed Terms & Conditions for the tender are available on State Procurement Portal website http://www.psp.raj.nic.in and University website www.rajuva.org. The Incharge, LRS Dag holds right to reject one or more tender. The Bids / Tenders not fulfilling prescribed terms & conditions or submitted after due date shall be rejected.
For this Open Tender UBN No. VAU2223GS0B000087
Raj.Samwad/C/9315/22-23 INCHARGE

Office of Project Director RAUIDP Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (A unit of RUJSDCO)
AVS Building, Jawahar Circle, JLN Marg, Jaipur - 302017
Tel No.: 0141-2721966, Fax No.: 0141-2721919
Email: mail.rauidp@rajasthan.gov.in, website: www.rauidp.rajasthan.gov.in

Invitation for Bids No: RSTPSP/OCB/INTL/29 दिनांक: 11 अक्टूबर, 2022

राजस्थान द्वितीयक नगर विकास क्षेत्र परियोजना (RSTDPSP-Additional Financing) राजस्थान शाही आधुनिक विकास परियोजना (RAUIDP) निम्नलिखित कार्यों के लिए पात्र निविदादाताओं से e-proc वेबसाइट पर ओपन बिडिंग कॉम्पिटिशन (OCB) के तहत ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है।

क्र. सं.	वस्तु/पैकेज संख्या	पैकेज का विवरण	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1.	RSTDPSP/SL/ACTVBF/01	जैसमेर में शाही सोल्नरिडकरण के कार्य-पुनर्निविदा	14 नवंबर 2022 की दोपहर 3.00 बजे तक
2.		निविदा दस्तावेज e-proc वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 12 अक्टूबर 2022 से उपलब्ध होंगे। निविदा दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 को दोपहर 3.00 बजे तक e-proc पर प्रस्तुत की जा सकेगी।	
3.		प्री-बिड मीटिंग दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 को दोपहर 3.00 बजे आयोजित की जाएगी। सभी भागी निविदादाताओं को प्री-बिड मीटिंग में सम्मिलित होने की सलाह दी जाती है। यह भी सलाह दी जाती है कि निविदादाता कंपलेंट का दौरा एवं निविदा दस्तावेजों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले।	
4.		निविदादाताओं के प्रश्नों के स्वीकृति/Addendum एवं शुद्धि के तहत e-proc वेबसाइट पर प्रकाशित किये जायेंगे या कि किसी समाचार पत्र में।	
5.		अतिरिक्त परियोजना निदेशक, जयपुर (0141-2548404) से निविदादाता, निविदा प्रक्रिया संबंधित पूर्ण जानकारी ले सकते हैं।	

NIB Code : UI0223A0018, UBN : UI0223WS0B000018
राज.संवाद/सि/9199/2022-23 अतिरिक्त परियोजना निदेशक

कार्यालय नगर पालिका निवाड़ी

क्रमांक.- न.पा.नि. निम्न/2022-23/9685 दिनांक: 13.10.2022

ई निविदा सूचना संख्या 10/2022-2023 के लिए नोट प्रकाशन करने बाबत

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न कार्य के लिए चयनित श्रेणी में नगर पालिका निवाड़ी में पंजीकृत उद्युक्त श्रेणी के संवेकों एवं विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों के संबंधित श्रेणी में "A" "AA" श्रेणी में पंजीकृत संवेकों एवं विभाग में पंजीकृत उद्युक्त श्रेणी के संवेकों से, जो कि राजस्थान सरकार के उद्युक्त श्रेणी के संवेकों की सज्जदा है, उनके निर्धारित प्रारंभ में ई-प्रोक्वेस्ट प्रक्रिया हेतु ऑन-लाइन निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा प्राप्त एवं ई-निविदा से सम्बंधित विवरण व तारें वेब साइट www.sppp.rajasthan.gov.in व <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

निविदा का कार्य	NIB Code	दिनांक
निविदा का कार्य	NIB Code DLB2223A5659 (कुल 4 कार्य)	दिनांक 13.10.2022
Unique Bid Number	DLB222318346, DLB222318347, DLB222318348, DLB222318349	
निविदा की कुल लागत	Rs 64.75 लाख (सभी कार्यों की अनुमानित लागत)	
निविदा जारी करने की दिनांक		दिनांक 14.10.2022
निविदा दस्तावेजों को डाउनलोड करने को शुरुआती दिनांक व समय		दिनांक 14.10.2022 को 11:00 बजे से
ऑन लाइन निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक		दिनांक 19.10.2022 सायं 18:00 बजे
भौतिक रूप से कार्यालय में निविदा शुरू व शेषीय राशि जमा करने की दिनांक		दिनांक 20.10.2022 को अपराह्न 13:00 बजे तक नगर पालिका निवाड़ी कार्यालय में
तकनीकी किंड खोलने की दिनांक		दिनांक 20.10.2022 को अपराह्न 14:00 बजे
वित्तीय किंड खोलने की दिनांक व समय		Will be intimated letter to the Technically Qualified bidders
किंड की वैधता समयावधि		90 Days

अध्यक्ष राज.संवाद/सि/9195/2022-2023 अधिशासी अधिकारी

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त (शहर), जयपुर

क्रमांक-SEPC/NIB/2022-23/1568-1574 दिनांक- 14.10.2022
Email: sepcjpr@gmail.com Phone No. 0141-2711894

"निविदा आमंत्रण सूचना"

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु विक्रेताओं से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	निविदा संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (रु)	निविदा प्रारंभ दिनांक	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	कार्य पूर्णता अवधि
1	02/22-23	Water Supply Project for providing Bisalpur Water from Mahal Yojana Pumping Station to Bombay Hospital, Jagatpura, Jaipur	129.67 लाख	8.11.2022 शाम 6.00 बजे तक	09.11.2022 शाम 03.00 बजे	6 माह

विस्तृत निविदा प्रारंभ <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किये जा सकते हैं। (शुभंभूषु दक्षिण) अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत्त शहर, जयपुर
DIPRC/13400/2022